

127

19/10/2019

120

112

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रो.आई.डी. (अपराध) राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक- सा-३८१९) पु.अप. / डी एण्ड एंग आर रोल/९९/२८७-३३५ दिनांक- १७.७.१९

रा.जिला पुलिस अधीक्षक,  
स्थान

विषय- केबल टी.वी. बेटवर्क, वीडियो पार्लस एवं रिनेगांधरो द्वारा फिल्मों के  
अवैध रूप रो प्रदर्शन को रोकने वालत।

दब्य,

उपरोक्त विषयान्ताति निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य में उनके शहरों व घरेलों में केबल, नेटवर्क, वीडियो पार्लर एवं रिनेगांधरो द्वारा भारतीय कॉमीशनराइट एवट, रिनेगोटोग्राफ एवट एवं अन्म नूंगों का उल्लंघन करते हुए पायेरेटेड या अवैध रूप से कापी की गई वीडियो फ़िल्मों द्वारा तथा फिल्मों के प्रिन्टरा ए चलवित्रों का अवैध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिरासे फिल्म वितरकों, फिल्म निर्गताओं एवं वीडियो धेकार प्राप्त कम्पनियों को भारी आधिक नुकसान पहुंचने के साथ राज्य राजकार को भी कर राजरव नुकसान हो सकता है।

पायेरेटेड एवं अवैध रूप से तैयार, अपवाह प्राप्त वीडियो कैरोटरा व कापेक्ट डिरक एवं उनका उपयोग रना तथा बिना अनुच्छा फिल्मों को वी.री.आर. / वी.सी.डी. आदि द्वारा वीडियो पार्लस एवं केबल टी.वी., टवर्क तथा रिनेगांधरों में प्रसारण, प्रदर्शन करना भारतीय कॉमीशनराइट एवट (राशोधित) १९५७ की धारा ५१, २ ए, ६३, ६१, ६५, ६० ए तथा धारा ३७ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उल्लंघनकर्ता को ६ माह से ३ लाल तय के कारावास तथा ५० हजार रुपयों से दो लाख रुपये तक के अर्ध- दण्ड की राजा का प्रावधान है।

अतः आप अपने अधिकार्य रागरता वृत्ताधिकारीगण एवं धानाधिकारीगण को निर्देशित करें कि अवैध रूप से प्रसारण, प्रदर्शन की शुरूना गिलने पर उपरोक्त कानूनों का उल्लंघन कर अवैध प्रदर्शन करने वालों के खेलाफ रागुचित कठोर कानूनी कार्यवाही करें।

भवदीय

२०८५/२

( सुधीर प्रताप रिह )  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
रो.आई.डी. (रीबी), राज. जयपुर

प्रतिलिपि - १: रागरता उप गहानिरीक्षक पुलिस रेज को वारते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

२०८५/२  
( सुधीर प्रताप रिह )  
उप गहानिरीक्षक पुलिस,  
रो.आई.डी. (रीबी), राज. जयपुर